इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 नवम्बर 2014—अग्रहायण 3, शक 1936

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्र. एफ-35-69-2013-दो-सी-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भरती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

भाग-एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (भरती और सेवा की शर्तें) नियम, 2014 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का निदेशक अथवा राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन समिति का निदेशक;

(घ) ''राज्य कार्यपालिका समिति'' से अभिप्रेत है, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता के अधीन प्राधिकरण की कार्यपालिका समिति;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) ''अनुसूचित जातियों'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(झ) ''अनुसूचित जनजातियों'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ञ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सेवा;

(ट) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **प्राधिकरण की सेवा का गठन.**—प्राधिकरण की सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, प्राधिकरण में भरती किए गए हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण में भरती किये गये हों.

5. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान इत्यादि.**—(1) प्राधिकरण में सम्मिलित पदों की संख्या, वेतनमान तथा वर्गीकरण अनुसूची-एक के अनुसार होगा.

(2) प्राधिकरण के सदस्य, शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार समयमान वेतनमान के पात्र होंगे.

भाग-दो
भरती

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्राधिकरण में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी :—

(क) प्रतिनियुक्ति पर (मध्यप्रदेश पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, संचालनालय, नगर सेना एवं सिविल प्रतिरक्षा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा, जो आपदा प्रबंधन प्राशिक्षण के कौशल में प्रशिक्षित हों); और

(ख) संविदा भरती द्वारा.

(2) भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में उल्लेखित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी.

(3) राज्य कार्यपालिका समिति प्राधिकरण के अनुमोदन से अनुसूची दो के खण्ड (6) तथा (7) में विनिर्दिष्ट भरती के तरीके तथा कर्मचारियों के प्रतिशत का निर्णय करने के लिए सशक्त होगी.

(4) प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर भरती किए गए कर्मचारियों की शैक्षणिक अर्हताएं वही होंगी जैसी कि संबंधित पदों हेतु अनुसूची-तीन में उल्लिखित हैं.

(5) आपदा आवश्यकता की दशा में प्राधिकरण, अन्य विभाग के नियमित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर, ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिए उनकी सहमति के आधार पर ले सकेगा.

7. **आरक्षण.**—(1) नि:शक्तजनों का आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अनुसार होगा.

8. **संविदा नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, प्राधिकरण द्वारा की जाएंगी तथा प्रत्येक नियुक्ति या तो सीधे संविदा भरती के तरीके से या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी. संविदा नियुक्ति पर चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

आयु.—

(एक) चयन के समय उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी ने न्यूनतम आयु पूर्ण कर ली हो एवं 45 वर्ष से अधिक का न हो [जैसा कि अनुसूची-तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है].

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.

शैक्षणिक अर्हताएं :—

(तीन) अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए.

(चार) भूतपूर्व सैनिक रहे अभ्यर्थी को उसके द्वारा की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने को अनुमत किया जाएगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(पांच) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए,—

(क) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के संपूर्ण अभिलेख का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ''अच्छा'' या उससे उच्च कोटि का रहा हो;

(ख) उसके संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान उसका आचरण कभी भी संदिग्ध न पाया गया हो;

(ग) उसकी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान उसे दण्डित नहीं किया गया हो;

(घ) उसका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो;

(ङ) उसकी संविदा नियुक्ति उसके 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् निरंतर नहीं की जाएगी;

(च) उसे समेकित वेतन प्रदान किया जाएगा. समेकित वेतन का निर्धारण करने के लिए पेंशन की राशि को उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम वेतन में से घटाया जाएगा तथा शेष राशि का उसे भुगतान किया जाएगा. संविदा वेतन पर मंहगाई भत्ते या किसी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा.

(छह) संविदा सेवा के लिए समेकित वेतन का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासकीय सेवक को अनुज्ञेय कोई अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी.

(सात) उसे संविदा पर नियुक्ति की पात्रता अनुसार गृह भाड़ा भत्ते का भुगतान किया जाएगा.

(आठ) नियमानुसार यात्रा भत्ता अनुज्ञेय होगा.

(नौ) संविदा नियुक्ति दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की सूचना देकर या उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी.

(दस) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे.

(ग्यारह) संविदा नियुक्ति अनुसूची-एक तथा अनुसूची-दो में दर्शित पदों के लिए होगी. संविदा नियुक्ति हेतु अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में दर्शित शैक्षणिक अर्हताओं के प्रयोजन को पूरा करना होगा.

(बारह) अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, निदेशक द्वारा राज्य कार्यपालिका समिति की अनुशंसा पर की जाएगी.

(तेरह) राजपत्रित अधिकारियों की संविदा नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी.

(चौदह) सीधी भरती के रूप में प्रथम संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी. तीन वर्ष पूरे होने के उपरान्त समिति, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की दक्षता का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी:

परन्तु पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् कोई संविदा नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी.

(पंद्रह) उपरोक्त खण्ड (चौदह) के उपबंधों के अनुसार यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो महानिदेशक, नगर सेना तथा सिविल प्रतिरक्षा, समिति की अनुशंसा पर, ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा.

(सोलह) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके अधिकारियों/कर्मचारियों से संविदा आधार पर पद के भरे जाने के लिए मानक निम्नानुसार होंगे:—

(क) लिपिकीय संवर्ग के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी;

(ख) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे;

(ग) ऐसे कर्मचारियों को समेकित वेतन क़ा भुगतान किया जाएगा;

(घ) किसी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के नियत वेतन की गणना करने के लिए पेंशन की राशि को संविदा वेतन में से घटाया जाएगा तथा उस पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा;

(ङ) ऐसे कर्मचारी शासकीय आवास के हकदार नहीं होंगे;

(च) वह संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय अवकाश का हकदार होगा;

(छ) उसे उसी रीति में यात्रा व्यय अनुज्ञेय होगा जैसा कि वह अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व प्राप्त कर रहा था;

(ज) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध लागू होंगे;

(झ) संविदा आधार पर नियुक्ति का आदेश 45 दिनों तक विधिमान्य होगा, यदि संबंधित अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो वह निरस्त हो जाएगा.

9. **नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर भरती.**—(1) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभिन्न पदों पर भरती की जाएगी.

(2) अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए.

(3) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जो कि वह उसके मूल विभाग में प्राप्त कर रहा था.

(4) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद दो स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात् उसी दर पर विशेष भत्ता लेने के हकदार होंगे जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए.

(5) यह विशेष भत्ता प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों जैसे कि संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक तथा प्रशिक्षण विशेषज्ञ को देय होगा.

10. **निरर्हता.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में निरर्हता माना जाएगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी ज़िसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में किसी महिला के विरुद्ध अपराध का कोई मामला लंबित है तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को मामले के अंतिम निर्णय होने तक लंबित रखा जाएगा.

11. **संविदा आधार पर विशेषज्ञों/परामर्शियों की नियुक्ति.**—(1) प्राधिकरण में परामर्शी अथवा विशेषज्ञ संविदा आधार पर नियुक्त किए जाएंगे जैसा कि अनुसूची-दो के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट है.

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है को अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट पदों हेतु न्यूनतम अर्हता रखना अनिवार्य है.

(3) परामर्शी अथवा विशेषज्ञ तीन वर्षों की कालावधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और उनके पूर्ववर्ती तीन वर्षों के कार्य के पुनर्विलोकन के पश्चात् अगले तीन वर्षों के लिए संविदा पर बढ़ाया जा सकेगा.

(4) परामर्शी अथवा विशेषज्ञ अनुसूची-एक के कालम (6) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अपने कार्य की गुणवत्ता के आधार पर समेकित वेतन प्राप्त करेगा. राज्य कार्यपालिका समिति को उसके समेकित वेतन का 10 प्रतिशत तक भुगतान बढ़ाए जाने का अधिकार होगा:

परन्तु यह कि परामर्शी या विशेषज्ञ तीन वर्ष पश्चात् उसकी बढ़ी हुई कालावधि के लिए किसी वेतनवृद्धि का हकदार नहीं होगा.

भाग-तीन
सेवा की शर्तें

12. **सेवा में आचरण एवं अनुशासन.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 प्राधिकरण में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू होंगे.

13. **अनुशासनिक एवं अपीली प्राधिकारी.**—राज्य कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों जो कि प्राधिकरण में कार्य कर रहे हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा.

14. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भरती किए गए व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करना होगी.

15. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले का, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में,जो कि उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, निपटारे करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु मामला किसी ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो.

16. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो वह कार्यपालिका समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

17. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को लागू आरक्षण एवं अन्य शर्तों को, जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए आदेशों में उपबंधित हों, को प्रभावित नहीं करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. गुप्ता, सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा प्राधिकरण में संरचना

अनु-क्रमांक (1)	पदनाम (2)	पद की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	परामर्शी/विशेषज्ञों को वेतनमान (6)
1	संचालक (पदेन सचिव गृह)	01	प्रथम श्रेणी	37400—67000 पे बैण्ड-4 (ग्रेड पे 10000)	—
2	उप संचालक	06	प्रथम श्रेणी	15600—39100 पे बैण्ड-3 (ग्रेड पे 6600)	65000
3	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	02	प्रथम श्रेणी	15600—39100 पे बैण्ड-3 (ग्रेड पे 6600)	50000
4	सहायक संचालक	13	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 पे बैण्ड-3 (ग्रेड पे 5400).	50000
5	सहायक लेखाधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	9300—34800 पे बैण्ड-2 (ग्रेड पे 3600).	25000
6	स्टेनोग्राफर	01	तदैव	9300—34800 पे बैण्ड-2 (ग्रेड पे 3600).	25000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी	5200—20200 पे बैण्ड-1 (ग्रेड पे 3600).	25000
8	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर.	14	तदैव	5200—20200 पे बैण्ड-1 (ग्रेड पे 1900).	12000
9	चालक	02	तदैव	5200—20200 पे बैण्ड-1 (ग्रेड पे 1900).	10000
10	भृत्य	13	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440 पे बैण्ड S-1 (ग्रेड पे 1300).	कलेक्टर दर
	कुल . .	54	—	—	—

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु-क्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या			परामर्शी की संविदा नियुक्ति द्वारा	अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संचालक (पदेन सचिव गृह).	01	निरंक	निरंक	100%	निरंक	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में से सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी.
2	उप संचालक	06	निरंक	निरंक	60%	40%	
3	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	02	तदैव	तदैव	50%	50%	—
4	सहायक संचालक	13	तदैव	तदैव	60%	40%	—
5	सहायक लेखाधिकारी	01	तदैव	तदैव	100%	निरंक	—
6	स्टेनोग्राफर	01	तदैव	तदैव	100%	तदैव	—
7	लेखापाल	01	तदैव	तदैव	100%	तदैव	—
8	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर.	14	तदैव	तदैव	60%	40%	—
9	चालक	02	तदैव	तदैव	50%	50%	—
10	भृत्य	13	तदैव	तदैव	60%	40%	—
	कुल	54	—	—	—	—	—

टिप्पण.—अनुसूची चार में उल्लिखित अनुसार इन 54 पदों में से 42 पद नियोजन के प्रथम चरण में भरे जाएंगे और शेष 12 पद नियोजन के द्वितीय चरण में भरे जाएंगे.

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

पदों हेतु आयु तथा अर्हताएं

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं (5)	अन्य अपेक्षाएं (6)
1	उप संचालक	35 वर्ष	40 वर्ष	सामाजिक विज्ञान, भूगोल, रसायन विज्ञान, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए.	1. न्यूनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव जिसमें से दो वर्ष का अनुभव आपदा प्रबंधन में होनी चाहिए. 2. ऐसे अधिकारी जिन्होंने शासकीय/अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ कार्य किया हो को अधिमान दिया जाएगा.
2	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	30 वर्ष	40 वर्ष	सामाजिक विज्ञान, ग्रामीण प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कृषि विज्ञान, विधि, यांत्रिकी, चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए.	1. न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव तथा प्रशिक्षण कार्य का ज्ञान. 2. जिन्होंने आपदा प्रबंधन में कार्य किया हो को अधिमान दिया जाएगा.
3	सहायक संचालक	30 वर्ष	40 वर्ष	पद हेतु अपेक्षित किए गए अनुसार संबंधित विषय में (जैसे कि विधि, यांत्रिकी तथा चिकित्सा) में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए.	संबंधित विषय में 5 वर्षों का कार्यानुभव आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा आपदा योजना बनाने का ज्ञान.
4	सहायक लेखाधिकारी	20 वर्ष	40 वर्ष	वाणिज्य में उपाधि अनिवार्य है.	लेखा कार्य में दो-तीन वर्षों का कार्यानुभव.
5	स्टेनोग्राफर	20 वर्ष	40 वर्ष	मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/बोर्ड से अंग्रेजी/हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन तथा हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण.	शीघ्रलेखक/स्टेनो टाईपिस्ट के रूप में दो-तीन वर्षों का कार्यनुभव.
6	लेखापाल	20 वर्ष	40 वर्ष	वाणिज्य में उपाधि होनी चाहिए.	लेखा कार्य में दो-तीन वर्षों का कार्यानुभव.
7	कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर.	20 वर्ष	40 वर्ष	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि होनी चाहिए.	प्रतिनियुक्ति पर.
8	चालक	20 वर्ष	40 वर्ष	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	प्रतिनियुक्ति पर.
9	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	प्रतिनियुक्ति पर.

टिप्पण.—1. अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी.

2. विभिन्न विषयों के परामर्शी/विशेषज्ञ सहायक संचालक के पद पर भरती किए जाएंगे, जो कि संचालक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे.

घ. **अनुसंधान एवं नीति विकास :**

1.	उप संचालक (अनुसंधान एवं नीति विकास)	1	1	0
2.	सहायक संचालक (थीमेटिक)	3	2	1
3.	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	3	2	1
4.	भृत्य	2	2	0

ड. **वित्त योजना एवं समन्वय विभाग (खण्ड) :**

1.	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
2.	लेखापाल	1	1	0
3.	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	0
4.	भृत्य	1	1	0

च. **कार्यान्वयन एवं समन्वय विभाग (खण्ड) :**

1.	उप संचालक	1	1	0
2.	सहायक संचालक	3	2	1
3.	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	0
4.	भृत्य	1	1	0

छ. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-सह-नई तकनीकी विकास :**

1.	उप संचालक	1	0	1
2.	सहायक संचालक	1	1	0
3.	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	0
4.	भृत्य	1	1	0
		कुल 54	42	12

Bhopal, the 24th November 2014

No. F-35-69-2013-II-C-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of officers and employees of the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority namely:—

RULES

PART-I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority (recruitment and conditions of service) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" means the Director of the Authority of the officer designated by the State Executive Committee;

(b) "Authority" means the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority;

(c) "Director" means the Director of the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority;

(d) "State Executive Committee" means the Executive Committee of the Authority under the Chairmanship of the Chief Secretary. Government of Madhya Pradesh;

(e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Other Backward Classes" means the Backward Classes of citizens as specified by the Central Government vide Notification No. F -8-5-twenty five-4-84, dated 26-12-1984 as amended from time to time;

(h) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(j) "Service" means the service of Madhya Pradesh State Disaster Management Authority;

(k) "State" means the State of Madhya Pradesh;

3. **Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every members of the Authority.

4. **Constitution of the Service of Authority.**—The service of Authority shall consist of the following persons, namely:—

(a) persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity, the posts specified in Schedule-I;

(b) persons recruited to the Authority before the commencement of these rules; and

(c) persons recruited to the Authority in accordance with the provisions of these rules.

5. **Number of posts, classification and pay scale etc.**—(1) The classification, pay scale and number of posts included in the Authority shall be in accordance with Schedule-I.

(2) The members of the Authority shall be eligible for time pay scale in accordance with the circulars issued from time to time by the Finance Department of the Government..

PART - II
RECRUITMENT

6. **Method of recruitment.**—(1) After the commencement of these rules, the mode of recruitment in the Authority shall be:—

(a) on deputation (by transfer of officers/ employees appointed in the Madhya Pradesh Police, Border Security Force, Directorate of Home Guards and Civil Defence, Madhya Pradesh, Central Industrial Security Authority, National Disaster Response Authority, National Disaster Management Authority, Army or any other department of the State or Central Government who are trained in the skills of disaster management training); and

(b) on contractual appointment.

(2) Number of persons recruited shall never exceed the number of posts mentioned in the Schedule-I.

(3) The State Executive Committee shall be empowered to decide the method of recruitment and percentage of employees as specified in column (6) and (7) of Schedule II with the approval of Authority.

(4) The employees to be recruited on deputation/ contractual basis shall have such educational qualifications as mentioned in Schedule III for the concerned posts.

(5) In case of disaster emergency the Authority may take officers/ employees on deputation who are working on the regular posts of other departments on the basis of their consent for such deputation.

7. **Reservation.**—(1) Reservation of physically challenged persons shall be as per the circulars issued by the Government, from time to time.

(2) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

8. **Conditions of eligibility for contractual appointment.**—After the commencement of these rules, all the appointments in the service shall be made by the Authority and every appointment shall be made either through the mode of direct contractual recruitment or deputation. The following conditions shall be fulfilled by the candidates to be eligible for Selection on contract appointment:-

Age—(i) At the time of Selection the candidate must have attained the minimum age and shall not exceed an age of 45 years on the 1st January of that year (as specified in column (3) of Schedule-III).

(ii) A relaxation of 5 years shall be given to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Educational qualifications.—

(iii) The candidate must possess the educational qualifications as specified in Schedule-III.

(iv) The candidate who has been an Ex-serviceman shall be allowed to deduct his entire period of service rendered in the defence, provided that the resulting age shall not exceed 3 years of the upper age limit.

(v) For the contractual appointment of retired Government servants after attaining the age of superannuation:—

(a) the entire record of the concerning officer/employee should have been graded "good" or above in confidential report;

(b) during his entire service period his conduct must not have been found to be suspicious;

(c) he must not have been punished during last 10 years of his service;

(d) he must have a sound health;

(e) the contractual appointment shall not continue after he attains the age of 65 years;

(f) he shall be given consolidated salary. To determine the consolidated salary, the amount of pension shall be deducted from the last pay drawn by him and the remaining amount shall be paid to him. Dearness allowance or any other allowance shall not be payable on the contractual salary.

(vi) A consolidated salary shall be paid for the contractual service. Apart from it, no other facilities which are permissible to the Government servant shall be given to the contractual appointee.

(vii) House rent allowance shall be paid to him as per the eligibility of contractual appointment.

(viii) Travelling allowance shall be permissible as per the rules.

(ix) The contractual appointment may be terminated by serving one month's notice by either parties or in lieu thereof one month's salary.

(x) The provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Conduct) Rules, 1965 shall be applicable on the persons appointed on contract basis.

(xi) The contractual appointment shall be for the posts shown in Schedule-I and Schedule-Ill. For the purpose of fulfilling of the educational qualifications as shown in the column (5) of Schedule-III shall be must for the contractual appointment.

(xii) The appointment of non-gazetted officers/ employees shall be made by the Director on the recommendation of the State Executive Committee.

(xiii) The contractual appointment of the Gazetted Officers shall be made by the Government.

(xiv) The first contractual appointment in the form of direct recruitment shall be for a period of three years. After completion of three years, the Committee may extend the contractual appointment for a period of two years after reviewing the efficiency of the contractual appointee:

Provided that no contractual appointment shall be made after completion of period of five years.

(xv) As per the provisions of clause (xiv) above, if the work is not found satisfactorily, on the recommendations of the Committee, the Director General, Home Guards and Civil Defence may terminate such contractual appointment.

(xvi) The norms for filling up of the post on contractual basis from superannuated officers/ employees shall be as follows:-

(a) for ministerial cadre the maximum age shall be 65 years;

(b) the employees appointed after superannuation shall not be eligible for promotion;

(c) consolidated salary shall be paid to such employees;

(d) to calculate the fixed salary of a retired officer / employees, the amount of pension shall be deducted from the payment of contractual salary and dearness allowance shall be paid thereon;

(e) such employees shall not be entitled for the Government accommodation;

(f) he shall be entitled for the leave as permissible to the empluyees of the contract appointment;

(g) travelling expenses shall be permissible to him as he was getting before his superannuation;

(h) the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 shall be applicable;

(i) the appointment order on contractual basis shall be valid for 45 days, if the concerned do not join his duty, the same shall stood cancelled.

9. **Appointment/Recruitment on deputation**—(1) After receiving the consent of the Government Officer/ Employee, the recruitment through deputation shall be made on different posts.

(2) The candidate must possess the requisite qualifications as specified in Schedule-III.

(3) The concerned officer/employee shall receive the same pay and allowances on deputation as he was getting in his parent department.

(4) The staff of the Authority posted on deputation shall be entitled to get special allowance after getting two levels training successfully at the rate as may be prescribed by the Authority.

(5) This special allowance shall be paid to the officers on deputation posted as Director, Deputy Director, Assistant Director and Training Experts.

10. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held as disqualification for appearing in the examination/ Selection by the Appointing Authority.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post, if he has more than two living childern, out of one of them is borne on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to the service or post who has already one living child and if next delivery takes place on or after 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service or post who has been convicted for an offence against woman :

Provided that if there is anv case for an offence against women is pending against the candidate in the court of law, then the appointment of such candidate shall be kept pending till the final decision of the case.

11. **Appointment of Consultants/Specialist on contract basis.**—(1) The Consultants or specialist shall be appointed on contractual basis in the Authority as specified in column (7) of Schedule-II.

(2) The person so appointed on contract must have the minimum qualification for the posts specified in column (5) of Schedule-Ill.

(3) The Consultant or specialist shall be appointed for a period of three years and may get an extension of contractual appointment for next three years after reviewing their performance of the preceding three years.

(4) The Consultant or specialist shall get a consolidated salary as specified in column (6) of Schedule-I, based on the performance of quality of his work. The State Executive Committee shall have right to increase his payment upto 10% of the consolidated salary:

Provided that the Consultant or specialist shall not be entitle for any increment after three years during the period of his extension.

PART-III
CONDITIONS OF SERCIVE

12. **Conduct and discipline in the service.**—The Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 shall be applicable on the officer/employee who is working in the Authority.

13. **Disciplinary and Appellate Authority.**—The Chairman of the State Executive Committee shall be competent to take disciplinary action against the officers/employees working in the Authority as per the provisions of rule 10 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

14. **Probation.**—Persons directly recruited in the service shall have to undergo a probation period for two years.

15. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such a manner, as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt within any such manner less favourable to him than that which provided in these rules.

16. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Executive Committee and its decision shall be final thereon.

17. **Saving.**—Nothing contained In these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in the orders issued by the State Government in this behalf, from time to time.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.

SCHEDULE—I
(See Rule 5)

Classification, pay scale and structure in the Authority

S.No.	Name of Post	No.of posts	Classification	Pay Scale	Pay to Consultants/ Specialist
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Director (Ex-officio-Secretary, Home).	01	Class-I	37400-67000 Pay Band-4 (Grade Pay 10000)	-
2	Deputy Director	06	Class-I	15600-39100 Pay Band-3 (Grade Pay 6600)	65000
3	Training Expert	02	Class-I	15600-39100 Pay Band-3 (Grade Pay 6600)	50000
4	Assistant Director	13	Class-II	15600-39100 Pay Band-3 (Grade Pay 5400)	50000
5	Assistant Accounts Officer	01	Class-III	9300-34800 Pay Band-2 (Grade Pay 3600)	25000
6	Stenographer	01	Class-III	9300-34800 Pay Band-2 (Grade Pay 3600)	25000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Accountant	01	Class-III	5200-20200 Pay Band-1 (Grade Pay 3600)	25000
8	Office Assistant-cum-Computer Operator.	14	—Do—	5200-20200 Pay Band-1 (Grade Pay 1900)	12000
9	Driver	02	—Do—	5200-20200 Pay Band-1 (Grade Pay 1900)	10000
10	Peon	13	Class-IV	4440-7440 Pay Band S-1 (Grade Pay 1300)	Collector Rate
	Total . .	54	—	—	—

SCHEDULE – II

(See Rule - 6)

Method of Recruitment

S.No.	Name of Post	Number of Post	Numebr of posts to be filled by				Remarks
			Direct Recruitment	Promotion	Transfer/ Deputation	Contractual Appointment of Consultant	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8)
1.	Director (Ex-Officio-Secretary, Home).	01	Nil	Nil	100%	Nil	The Officer shall be appointed by the Government from amongst the Officer of All India Service.
2.	Deputy Director	06	-Do-	-Do-	60%	40%	—
3.	Training Expert	02	-Do-	-Do-	50%	50%	—
4.	Assistant Director	13	-Do-	-Do-	60%	40%	—
5.	Assistant Accounts Officer.	01	-Do-	-Do-	100%	Nil	—
6.	Stenographer	01	-Do-	-Do-	100%	-Do-	—
7.	Accountant	01	-Do-	-Do-	100%	-Do-	—
8.	Office Assistant-cum-Computer Operator.	14	-Do-	-Do-	60%	40%	with the prior permission of the State Executive committee all the posts shall be filled either by contractual appointment of through any agency.
9.	Driver	02	-Do-	-Do-	50%	50%	
10.	Peon	13	-Do-	-Do-	60%	40%-	
	Total . .	54	—	—	—	—	—

Note.—Out of these 54 posts, 42 posts shall be filled in the first phase of appointment and remaining 12 posts shall be filled in the second phase of appointment as mentioned in Schedule-IV.

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Age and Qualifications for the Posts

S. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Essential Educational Qualification	Other requirements
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deputy Director	35 years	40 years	Must have Masters Degree in Social Science, Geology, Chemical Science, Rural Development, Disaster Management Agriculture.	1. Minimum 10 years' working experience out of which two years must be in Disaster Management. 2. Preference shall be given to the officers who have worked with Government/ International Agencies.
2.	Training Expert	30 years	40 years	Must have Masters Degree in Social Science, Rural Management, Disaster Management, Agriculture Science, Law, Engineering, Medical.	1. Minimum 5 years' experience and knowledge of training work. 2. Preference shall be given to those who have worked in Disaster Management.
3.	Assistant Director	20 years	40 years	Must have Masters Degree in the respective subject as required for the post (such as Law, Engineering and Medical).	Minimum 5 years' experience working exerience in the related subject. Knowledge of making Disaster Plan and the Disaster Management Act, 2005.
4.	Assistant Accounts Officer.	20 years	40 years	Must have Degree in Commerce.	Two-three years' working experience in the accounts work.
5.	Stenographer	20 years	40 years	Must have passed Higher Secondary and English/ Hindi Shorthand and Typing from any Board/ Institute recognized by the Government of Madhya Pradesh.	Two-three years' working experience as a Stenographer/ Steno Typist.
6.	Accountant	20 years	40 years	Must have Degree in Commerce.	Two-three years' working experience in the accounts work.
7.	Office Assistant-cum-Computer Operator.	20 years	40 years	Must have a Degree of Bachelor of Computer Application.	on deputation
8.	Driver	28 years	40 years	Must have passed High School Certificate.	on Deputation
9.	Peon	18 years	40 years	Must have passed VIIIth Standard.	on deputation

Note.—1. The Maximum age limit of officer/employee for deputation shall be 55 years.

2. The Consultants/Specialist of different subjects shall be recruited on the post of Assistant Director, which shall be determined by the Director.

SCHEDULE-IV

Division-wise Number of Sanctioned Posts of Officers/Employees of the Authority

S.No.	Name of post	Total Sanctioned posts	Phase-I	Phase-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director, State Disaster Management Authority (Secretary, Home ex-officio).	1	1	0
2.	Stenographer	1	1	0
3.	Office Assistant-cum-Computer Operator	1	1	0
4.	Driver	2	2	0
5.	Peon	3	2	1
A.	**Administrative Division :**			
1.	Deputy Director (Administration)	1	1	0
2.	Assistant Director	2	1	1
3.	Office Assistant-cum-Computer Operator	2	1	1
4.	Peon	2	2	0
B.	**IEC and Media Division :**			
1.	Deputy Director (IEC and Media)	1	1	0
2.	Assistant Director	2	1	1
3.	Office Assistant-cum-Computer Operator	2	1	1
4.	Peon	1	1	0
C.	**Training and Capacity Building:**			
1.	Deputy Director (Training and Capacity Building)	1	1	0
2	Assistant Director	2	1	1
3.	Training Experts	2	1	1
4.	Office Assistant-cum-Computer Operator	3	2	1
5.	Peon	2	2	0
D.	**Research and Policy Development :**			
1.	Deputy Director (Research and Policy Development)	1	1	0
2	Assistant Director (Thematic)	3	2	1
3.	Office Assistant-cum-Computer Operator	3	2	1
4.	Peon	2	2	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E.	**Finance Planning and Co-ordination Division :**			
1.	Assistant Accounts Officer	1	1	0
2.	Accountant	1	1	0
3.	Office Assistant-cum-Computer Operator	1	1	0
4.	Peon	1	1	0
F.	**Operation and Co-ordination Division:**			
1.	Deputy Director	1	1	0
2	Assistant Director	3	2	1
3.	Office Assistant-cum-Computer Operator	1	1	1
4.	Peon	1	1	0
G.	**International Co-operation-cum-New Technology Development :**			
1.	Deputy Director	1	0	1
2.	Assistant Director	1	1	0
3.	Office Assistant-cum-Computer Operator	1	1	0
4.	Peon	1	1	0
	Total . .	54	42	12

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.